*वित्तीय समावेशन - अतीत, वर्तमान और भविष्य**

श्री शक्तिकांत दास

इस गरिमापूर्ण सम्मेलन को संबोधित करने हेतु मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं इकनॉमिक टाइम्स फाइनेंशियल इंक्लूजन समिट के आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। वित्तीय समावेशन सतत और संतुलित आर्थिक विकास का एक प्रमुख प्रेरक तत्व है जो आय की असमानता और गरीबी को कम करने में सहायता प्रदान करता है। यद्यपि हमने इस क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में जबरदस्त प्रगति की है, परंतु महामारी के कारण नई चुनौतियां और जटिलताएं पैदा हो गई हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में हो रहे सुधार की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसलिए यह सर्वथा उपयुक्त है कि इस समय वित्तीय समावेशन पर विचार-विमर्श करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और मैं इसके लिए आयोजकों की सराहना करता हूँ।

वित्तीय समावेशन की दिशा में भारत की यात्रा के पीछे जो सबसे अधिक प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वह गांधीवादी दर्शन *"अंत्योदय के माध्यम से सर्वोदय - सबसे कमजोर व्यक्ति के उत्थान के माध्यम से सभी लोगों का कल्याण"* में प्रतिध्वनित होता है। 'समावेशी' और 'समानता' के मूल उद्देश्य इस दर्शन के केंद्र में हैं जिसका दायरा गरीबी उन्मूलन से आगे तक जाता है। इसके दायरे में गरीबों, महिलाओं, किसानों, छोटे उद्यमों और अन्य लोगों के साथ-साथ समाज के सभी वर्गों के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करना शामिल है। भारत में नीति निर्माताओं के रूप में भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन के महत्व को बहुत पहले स्वीकार कर लिया था और यह सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए गए हैं कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के गरीब और वंचित वर्गों तक पहुंचे।

मुझे विश्वास है कि आज इस मंच पर उभरते जोखिमों, नवोन्मेषी और अति परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों के नए मॉडलों और संभावित नीतिगत हस्तक्षेपों के क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। आज के अपने संबोधन में इस बात पर विचार करना मुझे उपयुक्त लगा कि यह देखा जाए- हमने वित्तीय समावेशन के रास्ते पर अब तक कितनी दूर यात्रा कर ली है और आगे के रास्ते पर सोच-विचार किया जाए। *पहुंच, उपयोग* और *गुणवत्ता* के आयामों में इस क्षेत्र में हुई प्रगति का आकलन करते हुए, यह देखा गया है कि भारत में बैंकिंग सेवाओं तक समाज के अंतिम व्यक्ति की पहुंच को सुविधाजनक बनाने और वित्तीय उत्पादों के उपयोग को बढ़ाने की दिशा में एक लंबा सफर तय किया गया है। इसे आगे बढ़ाते हुए, वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2019-2024 (एनएसएफई)[1] और वित्तीय शिक्षण के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2020-2025 (एनएसएफई)[2] वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में समन्वित दृष्टिकोण अपनाने के लिए एक रोडमैप प्रदान करती हैं। वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति दस्तावेज़ में ऐसे कई मील के पत्थर और कार्यान्वित की जाने वाली कार्य-योजनाओं को तय किया गया है जिससे एक बहु-हितधारक दृष्टिकोण के माध्यम से समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से वित्तीय सेवाओं को सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध, सुलभ और सस्ती बनाया जा सके।

अब तक की प्रगति

यदि पीछे मुड़कर देखा जाए तो देश की वित्तीय समावेशन यात्रा 1950 के दशक में शुरू हो गई थी, जब अर्थव्यवस्था के उपेक्षित क्षेत्रों और आबादी के कमजोर वर्गों को ऋण देने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसके बाद के वर्षों में विभिन्न प्रकार की पहल की गईं जिनमें अन्य तमाम योजनाओं के अलावा शाखा नेटवर्क का विस्तार, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल), अग्रणी बैंक योजना शुरू करना, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) को बढ़ावा देना, कारोबार संवाददाता (बीसी) मॉडल का कार्यान्वयन आदि शामिल हैं। बीसी मॉडल की सहायता से पारंपरिक बैंकिंग शाखाओं ने देश भर में बैंकिंग प्रणाली की पहुंच में सुधार किया है। हाल के वर्षों में वित्तीय समावेशन के प्रसार और पहुंच में वास्तव में बहुत तेज वृद्धि हुई है।

प्रौद्योगिकी के विकास और इसे अपनाने से डिजिटल वित्तीय सेवाओं के सघन विस्तार में व्यापक सुधार हुआ है। जन-धन,

* श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गुरुवार, 15 जुलाई 2021 को इकनॉमिक टाइम्स फाइनेंशियल इनक्लूजन समिट में दिया गया उद्घाटन वक्तव्य

[1] *https://m.rbi.org.in/Scripts/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=1154*

[2] *https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=1156*

आधार और मोबाइल (जेएएम) से निर्मित परिदृश्य ने वित्तीय समावेशन के संपूर्ण क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाया है। इसके अलावा, एक सुविधाजनक, सुरक्षित, निरापद और किफायती तरीके से डिजिटल भुगतान को सर्वव्यापी बनाने के लिए जमीनी स्तर पर सक्षम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की संरचना बनाने के लिए अनेक पहल की गई हैं। पिरामिड के बुनियादी हिस्से के मूल्यगत उपयोग की अंतर्निहित संभावना को देखते हुए, पारंपरिक बैंकों से लेकर भुगतान बैंकों, छोटे वित्त बैंकों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) तथा संभावनाशील फिनटेक कंपनियों जैसी नई प्रकार की विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं को इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में उभरते भागीदारों के रूप में देखा गया है।

वित्तीय समावेशन के लिए एक योजनाबद्ध और सुव्यवस्थित दृष्टिकोण रखने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को वित्तीय समावेशन योजनाएं (एफआईपी) बनाने की सलाह दी गई है, जिसमें कई मापदंडों के अनुसार उपलब्धियां शामिल हैं। इन मापदंडों के संबंध में पर्याप्त प्रगति हुई है, जिसका विवरण मई 2021 में जारी रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।

अब उपभोक्ता संरक्षण और ग्राहकों की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देते हुए अर्थव्यवस्था और आबादी के कमजोर वर्गों की समस्याओं को दूर करने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, ताकि वित्तीय सेवाओं के जिम्मेदार और स्थायी उपयोग के स्तर को प्राप्त किया जा सके। विभिन्न जनसंख्या समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाले विभिन्न प्रकार के बैंकों की शुरूआत उस दिशा में एक कदम था। हाल के दिनों में, जिन चुनौतियों ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है वे हैं (i) ग्राहक की पहचान कैसे करें; (ii) अंतिम पायदान तक कैसे पहुंचे; और (iii) प्रासंगिक उत्पाद कैसे प्रदान करें जो विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किफायती और सुरक्षित हो।

विश्वस्तरीय भुगतान प्रणाली के साथ, डिजिटल आईडी (आधार) और मोबाइल फोन के प्रसार से, पहुंच और उपयोग की पहली दो चुनौतियों का समाधान काफी हद तक हो गया है। तीसरी चुनौती अर्थात् गुणवत्ता के लिए मांग और पूर्ति दोनों पक्षों में आवश्यक हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) में खोले गए खातों ने वित्तीय सेवाओं तक लाखों भारतीयों की पहुंच को संभव बना दिया है जिससे उनकी मूलभूत वित्तीय उत्पादों की विविध आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। इससे आपूर्ति से जुड़ी समस्या को काफी हद तक हल कर लिया गया है। मांग से संबंधित पक्ष में हस्तक्षेप जनता के बीच जागरूकता पैदा करने पर केंद्रित है। वित्तीय समावेशन को सतत आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय साक्षरता, ग्राहक सुरक्षा और शिकायत निवारण इसके केंद्र में रखा गया है। वित्तीय साक्षरता में सुधार की दिशा में हाल में दो पहल की गई हैं- नियामकों द्वारा राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) की स्थापना और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) परियोजना का कार्यान्वयन।

भुगतान प्रणालियों को किसी भी अर्थव्यवस्था की जीवन-रेखा के रूप में देखा जाता है। वित्तीय समावेशन को हासिल करने और आर्थिक लाभ को पिरामिड के निचले भाग तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के एक साधन के रूप में उनकी पहचान बढ़ती जा रही है। यह अब सबको भली-भांति ज्ञात हो चुका है कि भारत विश्व के उन अग्रणी देशों में शामिल है जिनके पास अत्याधुनिक भुगतान संबंधी बुनियादी ढांचे और उत्पाद हैं, जिससे डिजिटल भुगतान को व्यापक रूप से अपनाया जा सके। उदाहरण के लिए, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई)[4] की संख्या में 53 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से वृद्धि हुई है और यह मई 2017 में रहे 41 करोड़ से बढ़कर मई 2021 में 226 करोड़ हो गई। इन प्रवृत्तियों से संकेत मिलता है कि ऐसे उपकरण छोटे मूल्य भुगतान लिए बेहद लोकप्रिय हुए हैं।

तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) और एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) जैसी त्वरित भुगतान प्रणालियों की शुरूआत से डिजिटल भुगतान में और तेजी आयी क्योंकि ये लाभार्थियों को तत्काल क्रेडिट प्रदान करती हैं और चौबीसों घंटे उपलब्ध हैं। डिजिटल पहुंच की सीमा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जून 2021 के दौरान औसतन प्रत्येक दिन भारत में भुगतान प्रणाली से लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपये प्रतिदिन की राशि के 15 करोड़ से अधिक लेनदेन किए गए। भारत के भुगतान

[3] इन मानदंडों में आउटलेटों (शाखाओं और बीसी) की संख्या, बुनियादी बैंक जमा खाते (बीएसबीडीए), इन खातों में ली गई ओवरड्राफ्ट सुविधाएं, किसान क्रेडिट कार्डों (केसीसी) और सामान्य क्रेडिट कार्डों (जीसीसी) में हुए लेनदेन और कारोबारी संवाददाता-सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (बीसी-आईसीटी) चैनल के माध्यम से हुए लेनदेन शामिल हैं।

[4] मई 2021 तक, 91% पीपीआई वॉलेट और शेष कार्ड के रूप में था।

परिदृश्य में स्मार्टफोन के यूपीआई प्लेटफॉर्म माध्यम से दी जा रही भुगतान लेनदेन की सुविधा ने क्रांति ला दी है। जून 2021 में यूपीआई से 280 करोड़ से अधिक लेनदेन किए गए। विश्व स्तर पर, यूपीआई के प्रति अच्छा रुझान देखा गया है। इसी प्रकार, आधार सक्षम भुगतान सेवाएं (एईपीएस), आधार प्रमाणीकरण के उपयोग से माइक्रो-एटीएम और बीसी के माध्यम से निधि अंतरण/ भुगतान और नकद निकासी की सुविधा प्रदान करती हैं। महामारी के दौरान, माइक्रो-एटीएम के माध्यम से बीसी आउटलेट्स पर नकद लेनदेन में उल्लेखनीय बढ़त देखी गई, जिसमें वर्ष 2020-21 के दौरान 2.25 लाख करोड़ रुपये[5] के 94 करोड़ से अधिक लेनदेन हुए।

महामारी से निपटने के उपाय

भारत में, महामारी की दूसरी लहर ने जीवन और आजीविका दोनों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही में शुरू हुई बहाली अप्रैल-मई 2021 में महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित हुई। वित्तीय समावेशन की दिशा में हमारे प्रयासों ने सरकार के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) द्वारा कमजोर वर्गों को निर्बाध और समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने में मदद की है।

जेएएम ट्रिनिटी के घटकों में से एक महत्वपूर्ण घटक- आधार, विश्व की सबसे बड़ी पहल है जो बायोमेट्रिक पहचान प्रदान करती है। इसने अभिनव डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा वित्तीय समावेशन की सुविधा प्रदान की है। एनएसीएच-आधार पेमेंट ब्रिज (एपीबी) प्रणाली और पीएमजेडीवाई ने मिलकर उपलब्ध बैंकिंग सुविधाओं के प्रभावी उपयोग को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो महामारी के दौरान सामने आई थी। क्योंकि इनके माध्यम से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत इन खातों में नकद लाभ दिए गए। आज की तारीख में लगभग 42.59 करोड़[6] पीएमजेडीवाई खाताधारक हैं जिनमें 55 प्रतिशत से अधिक खाताधारक महिलाएं हैं। डीबीटी में डिजिटल भुगतान के प्रभाव का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि वर्ष 2020-21 के दौरान 5.53 लाख करोड़ रुपये का डिजिटल अंतरण 54 मंत्रालयों की 319 सरकारी योजनाओं के लिए किया गया।

कोविड-19 से संबंधित व्यवधानों के वित्तीय प्रभाव को कम करने के लिए रिज़र्व बैंक ने जरूरतमंद वर्गों को ऋण प्रवाह की लागत सस्ती करने के लिए कई नीतिगत उपाय किए हैं। इन उपायों में नीति दर को कम करना, मांग के अनुसार चलनिधि योजनाओं की शुरूआत और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के माध्यम से चलनिधि का सुव्यवस्थित उपयोग सुनिश्चित करना तथा वित्तीय संस्थानों को व्यक्तियों, छोटे व्यवसायों और एमएसएमई के तनावग्रस्त ऋणों को हल करना शामिल हैं। नए एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट संवितरण पर नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) छूट; एनबीएफसी को ऑन-लेंडिंग के लिए बैंक ऋण हेतु पीएसएल वर्गीकरण और ऑन-लेंडिंग के लिए लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) से माइक्रो फाइनेंस संस्थानों (एमएफएल) को ऋण हेतु पीएसएल वर्गीकरण जैसे प्रभावित क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त उपाय किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, समावेशी विकास पर अधिक ध्यान देने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने पिछले वर्ष पीएसएल के दायरे को विस्तृत किया, जिसके तहत (क) स्टार्ट-अप को शामिल किया गया; (ख) अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को उधार देने की सीमा में वृद्धि की गई; (ग) छोटे और सीमांत किसानों और कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को बढ़ाया गया; और (घ) बैंकों को अपेक्षाकृत कमतर ऋण व्यापन वाले जिलों में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

महामारी ने, डिजिटल भुगतानों की अधिक व्यापक स्वीकार्यता के साथ-साथ, डिजिटलीकरण की गति को तीव्रतर कर दिया है। यह आवश्यक है कि वृहत्तर डिजिटलीकरण को वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों में समामेलित करने के लिए कदम उठाए जाएँ। भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ़) का परिचालन- बैंकों और कार्ड नेटवर्कों के साथ आरबीआई की एक पहल- टियर-3 से 6 केन्द्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में भुगतान स्वीकृति अवसंरचना के विकास के लिए आवश्यक गति प्रदान करेगा। यह इन अनछुए इलाकों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान स्वीकृति सुविधाओं (उदाहरण के लिए- पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस) के अधिकाधिक संस्थापन को सुगम बनाएगा और इस प्रकार डिजिटल भुगतान व्यवस्था की पहुँच और अधिक बढ़ेगी।

[5] *https://m.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewBulletin.aspx?Id=20366 – FY 2020-21*

[6] *https://pmjdy.gov.in/*

इसी प्रकार, प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश में कम से कम एक जिले को शत प्रतिशत डिजिटली सक्षम बनाने हेतु, 2019 में 42 जिलों में बैंकों के साथ मिलकर आरंभ की गई रिज़र्व बैंक की अग्रणी परियोजना, आम आदमी द्वारा डिजिटल भुगतनों की अधिकाधिक पहुँच और उपयोग को सुगम बनाएगी। मार्च 2021 तक बैंकों ने व्यक्तियों के मामले में 95.9 प्रतिशत और कारोबारों के मामले में 89.8 प्रतिशत डिजिटल कवरेज[7] हासिल कर ली है। एसएलबीसी को निर्देश दिये गए हैं कि इन चिन्हित जिलों में डिजिटल प्रगति की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए नए फोकस और बल के साथ कार्य करें। इसके अलावा, एनएसएफ़आई के अंतर्गत, 'वित्तीय सेवाओं तक सर्वव्यापी पहुँच' को प्रोत्साहित करने के लिए, पहाड़ी इलाकों में 5 किमी के दायरे/500 परिवारों वाले 99.9 प्रतिशत लक्षित गाँवों में बैंकिंग आउटलेट के किसी न किसी रूप की पहुँच प्रदान की गई है।

विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के इकट्ठा होने पर लगाए गए महामारी संबंधी प्रतिबंधों ने परंपरागत वित्तीय साक्षरता शिविरों पर भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता पैदा कर दी है। महामारी के दौरान, वित्तीय शिक्षण के प्रसार को जारी रखने के लिए पूरे देश में वैकल्पिक उपायों यथा- सोशल मीडिया, मास मीडिया (स्थानीय टीवी चैनल और रेडियो सहित) का रास्ता तेजी से अपनाया गया।

महामारी के बाद की दुनिया : आगे की राह

महामारी के बाद रिकवरी को अधिक समावेशी और सतत बनाए रखने के लिए, वित्तीय समावेशन हमारी नीतिगत प्राथमिकता बना रहेगा। अंतिम मील तक की दूरी पाटने में माइक्रोफ़ाइनान्स की अनुपूरक भूमिका को देखते हुए, माइक्रोफ़ाइनान्स क्षेत्र में विभिन्न विनियमित उधारदाताओं के लिए विनियामक फ्रेमवर्कों को सुसंगत बनाने के वास्ते हाल ही में एक परामर्शी दस्तावेज़ जारी किया गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य माइक्रोफ़ाइनान्स उधारकर्ताओं की अति-ऋणग्रस्तता से संबधित चिंताओं को दूर करना; ब्याज दरों को औचित्यपूर्ण बनाने के लिए बाजार प्रणाली को सक्षम बनाना; और ऋण लागत की पारदर्शिता को बढ़ाकर सुविचारित निर्णय लेने के लिए उधारकर्ताओं को सशक्त बनाना है।

पूरे देश में मार्च, 2024 तक प्रखण्ड स्तर पर सेंटर फॉर फाइनांशियल लिटरेसी (सीएफ़एल) प्रोजेक्ट के पहुँच जाने से आशा है कि वृहत्तर वित्तीय साक्षरता के लिए सामुदायिक नेतृत्व वाले सहभागी दृष्टिकोण की प्रभावोत्पादकता बढ़ेगी। साथ ही, वित्तीय साक्षरता की अवधारणाओं को कम उम्र में ही मन में बैठा लेने के महत्व को पहचानते हुए, स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम में वित्तीय साक्षरता सामग्री को समाहित करना- वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति 2020-25 (एनएसएफ़ई) के रणनीतिक लक्ष्यों में से एक है। अब तक 15 राज्यों के शैक्षणिक बोर्डों ने अपने स्कूली पाठ्यक्रम में वित्तीय साक्षरता मॉड्यूल शामिल किए हैं। ऐसी अपेक्षा है कि ये सारे दृष्टिकोण जमीनी स्तर पर वित्तीय शिक्षण को मजबूत करेंगे, जिससे एनएसएफ़ई द्वारा प्रतिपादित वित्तीय रूप से जागरूक और सशक्त भारत के निर्माण का स्वप्न साकार हो सकेगा।

देश में वित्तीय समावेशन का दायरा मापने के लिए, एक 'वित्तीय समावेशन सूचकांक' (एफ़आई इंडेक्स) बनाने और एक निश्चित अंतराल पर प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है। इस सूचकांक में वित्तीय समावेशन के तीन आयामों के लिए मानदंड होंगे- पहुँच, उपयोग और गुणवत्ता। एफ़आई इंडेक्स पर काम चल रहा है और आरबीआई द्वारा शीघ्र ही इसे प्रकाशित किया जाएगा।

निष्कर्ष

चूंकि मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ, मैं यह बात दोहराना चाहता हूँ कि वित्तीय समावेशन समावेशी संवृद्धि को बढ़ावा देता है क्योंकि इससे पिरामिड के निचले स्तर तक ऋण और अन्य सुरक्षा उपायों समेत वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध हो पाती हैं। अतीत में मिली सीखें और कोविड-19 महामारी के दौरान अर्जित अनुभव स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि वित्तीय समावेशन और समावेशी संवृद्धि, वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ करते हैं। सुदृढ़ उपभोक्ता सुरक्षा प्रणालियों के साथ, वृहत्तर वित्तीय साक्षरता और शिक्षण यह सुनिश्चित करेंगे कि पिरामिड के निचले स्तर तक के लोग सुविचारित वित्तीय निर्णय लेने में सशक्त हुए हैं। यह बैंकों,

---

[7] *डिजिटली सक्षम/परिव्याप्त व्यक्तियों और कारोबारों की गणना वैसे सक्रिय बचत खातों और पात्रता-प्राप्त सक्रिय चालू/कारोबारी खातों पर विचार करते हुए की गई है, जो कम से कम एक डिजिटल भुगतान माध्यम (यथा- एटीएम/डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एईपीएस, यूपीआई/यूएसएसडी, पीओएस, क्यूआर) से जुड़े हुए हैं।*

एनबीएफ़सी, एमएफआई आदि को भी अपने ग्राहक-आधार और उत्पाद को बढ़ाने और अपने तुलनपत्र को विस्तृत करने में सक्षम बनाएगा।

मैं इस बात पर बल देना चाहता हूँ कि सबके समृद्ध भविष्य के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वृहत्तर वित्तीय समावेशन के हमारे प्रयासों को अनिवार्यत: जारी रखा जाए। बैंक खातों की सर्वव्यापी पहुँच और इसके साथ-साथ ऋण, निवेश, बीमा और पेंशन से संबंधित वित्तीय उत्पादों तक सुलभ पहुँच को और अधिक तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। यह सुनिश्चित करना सभी हितधारकों का दायित्व है कि वित्तीय पारिस्थितिकी (डिजिटल माध्यम सहित) समावेशी हो और उत्पादों की अनुचित बिक्री, साइबर सुरक्षा, डेटा निजता जैसे जोखिमों का समाधान करने तथा समुचित वित्तीय शिक्षण और जागरूकता के जरिये वित्तीय व्यवस्था में भरोसा बढ़ाने में सक्षम हो। इन समस्त प्रयासों को एक सुदृढ़ शिकायत निवारण प्रणाली से समर्थित भी करना होगा। मैं आशा करता हूँ कि इस फोरम से रोचक विचार आएंगे, जिनसे देश में वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को और गति मिलेगी।

धन्यवाद। नमस्कार।